प्रेस नोट- 37
दिनांक 20.04.2025
सराहनीय कार्य थाना इन्हौना पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम जनपद अमेठी
अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, 05 तमंचा, 06 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 12 बोर व 12 अदद नाल, 40 अदद स्प्रिंग, हथौड़ी, लोहे का ठीहा आदि भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 19.04.2025 को क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री अजय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना इन्हौना पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम जनपद अमेठी की संयुक्त टीम इस्लामगंज चौराहे पर मौजूद थी तभी मुखबिर से सूचना मिली कि गंदा नाला के पास स्थित खण्डहर के एक कमरे में दो लोग भट्ठी जला कर अवैध शस्त्र बना रहे हैं। उक्त सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर एक बारगी दबिश देकर घेरकर दो व्यक्तियों को मौके से पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर **एक ने अपना नाम विजय लोहार उर्फ बिजली** पुत्र कल्लू लोहार निवासी अढ़नपुर थाना भाले सुल्तान जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष बताया, जिसकी तलाशी से 01 तमंचा व 04 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। **दूसरे ने अपना नाम कल्लू लोहार** पुत्र बाबू लाल निवासी अढ़नपुर थाना भाले सुल्तान जनपद अमेठी उम्र करीब 47 वर्ष बताया, जिसकी तलाशी से 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे व मौके पर कमरे की तलाशी से एक झोले व प्लास्टिक की चटाई पर 02 अदद 12 बोर व 01 अदद 315 बोर तमंचा, 01 अदद धौंकनी, 12 अदद नाल 12 बोर, 40 अदद स्प्रिंग, 08 अदद लोहे की पत्ती, 03 अदद पेंच, 02 अदद हथौड़ी, 01 लोहे का ठीहा, 01 बसुला, 02 पेचकस, 01 प्लास, 01 लोहे की आरी, 02 छेनी, 02 हैमर, 02 लकड़ी की बट, 01 लकड़ी की बॉडी, 02 लोहे की समसी, 01 लोहे की डाई, रेगमाल, लोहे का बरमा आदि अन्य भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। मौके से बरामद मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर (बिना नंबर प्लेट) के कागज मांगने पर दिखा न सके। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों को समय करीब 21:10 बजे गिरफ्तार कर थाना इन्हौना द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. विजय लोहार उर्फ बिजली पुत्र कल्लू लोहार निवासी अढ़नपुर थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष।
2. कल्लू लोहार पुत्र बाबूलाल निवासी अढ़नपुर थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी उम्र करीब 47 वर्ष।

बरामदगी-

- 04 तमंचा 12 बोर
- 01 तमंचा 315 बोर
- 04 जिंदा कारतूस 12 बोर
- 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 12 बोर
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण-** 01 अदद धौंकनी, 12 अदद नाल 12 बोर, 40 अदद स्प्रिंग, 08 अदद लोहे की पत्ती, 03 अदद पेंच, 02 अदद हथौड़ी, 01 लोहे का ठीहा, 01 बसुला, 02 पेचकस, 01 प्लास, 01 लोहे की आरी, 02 छेनी, 02 हैमर, 02 लकड़ी की बट, 01 लकड़ी की बॉडी, 02 लोहे की समसी, 01 लोहे की डाई, रेगमाल, लोहे का बरमा आदि अन्य भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 26/25 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
- मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर (बिना नंबर प्लेट) (धारा 207 एमवी एक्ट)।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना इन्हौना-

1. उ0नि0 अमरेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष इन्हौना जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 कृष्ण मोहन मिश्रा थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 सलाहुद्दीन अंसारी थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
4. का0 अमृत लाल थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
5. का0 प्रदुम्न थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
6. का0 कन्हैया यादव थाना इन्हौना जनपद अमेठी।

स्वाट टीम-

1. उ0नि0 अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम जनपद अमेठी।
2. हे0का0 आलोक सिंह स्वाट टीम जनपद अमेठी।
3. हे0का0 पवनेश यादव सर्विलांस टीम जनपद अमेठी।
4. का0 जय हिन्द स्वाट टीम जनपद अमेठी।
5. का0 सिकन्दर स्वाट टीम जनपद अमेठी।
6. का0 मनीष स्वाट टीम जनपद अमेठी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

कल्लू लोहार-

1. मु0अ0सं0 13/22 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 65/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
3. मु0अ0सं0 74/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।

विजय लोहार उर्फ बिजली-

1. मु0अ0सं0 13/22 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।

नोटः- ***अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड़ करने वाली पुलिस टीम को 10 हजार रुपये नकद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गयी है।***